

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>मदनराम V/S विलोकराम वर्गौराह</p> <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम अहक हुक्म में ज</p>
<p>20/08/2025</p>	<p>पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अनिष्ट प्रस्तुत प्रमाण तत्कालीन उपज्ज अधिकारी (तहासद कलक्टर) रिपोर्ट के विरुद्ध पेश किया था तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार का राज्य कोर्ट के आदेश से आदेशों की प्रतिका में कॉमिन्ट विभाग, जपपुर से पेश जाया है तथा यहाँ से कार्यभार हो चुका है, इसलिए उनके विरुद्ध यह प्रमाण निष्प्रभावी हो चुका है। प्रस्तुत प्रमाण से प्रार्थी का यह निवेदन है कि प्रार्थी के रिसेवट निपुष्टि के प्रमाण पत्र पर सन् 2022 से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। चूंकि प्रार्थी बूढ़ है एवं उनके प्रमाण पत्र 212 R.O. Act पर अभी तक सुनवाई नहीं होना जम्मीर है। अतः न्यायवित्त में तहासद कलक्टर, रिपोर्ट की को आदेश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के 212 R.O. Act के प्रमाणों पर दोनो पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 03 माह की अवधि में इन प्रमाणों का निमन्त्रण प्रभावशाली आधार पर निस्तारण किया जावे/आदेश की प्रति पालनाय भेजी जावे। यह प्रमाण पत्रावली इन्ही आदेशों के साथ निस्तारित की जाती है। पत्रावली के सादर मुम्तकिल होकर वापस भेजा है।</p>	

कलक्टर नागौर